न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 169 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. छैलसिंह पुत्र कल्याण सिंह 2. हमीरसिंह पुत्र कल्याणसिंह 3. दलपतसिंह पुत्र कल्याणसिंह जातियान राजपूत निवासी गोलिया भाटा 4. मुरीदखां पुत्र सुराबखां 5. हमीदखां पुत्र सुराबखां 6. हिन्दालखां पुत्र सुराबखां 7. नेमी पत्नि मुरीदखां जातियान मुसलमान निवासी गोलिया भाटा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. राजाराम पुत्र सोनाराम 2. पछाणाराम पुत्र सोनाराम 3. डायाराम पुत्र बुधराराम 4. अणसी पन आम्बाराम जातियान कलबी निवासी गोलिया भाटा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. गजाराम पुत्र चौथाराम जाति कलबी निवासी दहीवा, सांगाणा तहसील सायला, जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री दलाराम चौधरी विप्रार्थी सं. 1 से 3 अनुपस्थित।
3. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 27.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का खेत पटवार मण्डल जूना मीडा खेड़ा के राजस्व ग्राम गोलिया भाटा के खेत खसरा संख्या 364

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

रकबा 7.4509 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की नाते या सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा पटवार मण्डल जूना मीडा खेड़ा मौजा गोलिया भाटा के खेत खसरा संख्या 364 रकबा 7.4509 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण सं. 4 से 6 को सुनवाई का एवं विप्रार्थी सं. 1 से 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूना मीडा खेड़ा के खसरा संख्या 364 रकबा 7.4509 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की नाठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूना मीडा खेड़ा के खसरा संख्या 364 रकबा 7.4509 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि खेत मौजा गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूना मीडा खेड़ा के खसरा संख्या 364 रकबा 7.4509 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण सं. 4 से 6 बावजूद रजिस्ट्र्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, और विप्रार्थी सं. 1 से 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खेत मौजा गोलिया भाटा पटवार मण्डल जूना मीडा खेड़ा के खसरा संख्या 364 रकबा 7.4509 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी